


166

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



Re. 401

मुनेन्द्र प्रसाद पिता श्यामलाल कोल निवासी कोलौरा बार्ड नम्बर 15 नेहरू बार्ड नगर पंचायत सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)

RS 390 II / 16

..... आवेदक

बनाम

अशोक कुमार पिता बिहारीलाल अग्रवाल निवासी व ग्राम व तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)

..... अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०) राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2015 एवं 13.05.2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 ई०

अधिवक्ता श्री मोर देवजी सिंह
द्वारा प्रस्तुत 16-9-16

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(रीवा)

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त विवरण निम्न है :-


- यह कि अनावेदक ने आवेदक व उसके भाई नंदलाल को पक्षकार बनाते हुए आधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेमरिया के समक्ष राजस्व वर्ष 2010-11 में धारा 250 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 के तहत भूमि खसरा नम्बर 6/1 च रकवा 0.506 हैं० व 7/1 रकवा 0.951 हैं० के पूर्व दिशा में सेमरिया-सतना रोड़ के पचासा में मकान निर्माण करने से उसके भूमि का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5390-II/16

जिला-रीवा

मुनेन्द्र प्रसाद/अशोक कुमार

(1)	(2)	(3)
17.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार कचयी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

